गैर-प्रतियोगितात्मक बोली देना चाहते हैं। भारत सहित कुल 39 देशों ने कोष को सूचित किया कि वे विकल्प का अधिकार सुरक्षित रखना चाहते हैं। इनमें से प्रत्येक देश को 2.5 करोड़ औंस सोने के उतने भाग तक की गैर-प्रतियोगितात्मक बोली देने का हक है जितना 31 अगस्त, 1975 को कोष के कुल कोटे में उसका हिस्सा था। इन गैर-प्रतियोगितात्मक बोलियों पर सोना नीलामी के समय प्रचलित औसत कीमत पर दिया जाएगा।

विश्व बैंक का इस मामले से कोई संबंध नहीं है।

इंजीनियरिंग वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कारखानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गई सहायता

1937. **श्री अनन्तराम जायसवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरिंग वस्तुओं का उत्पादन करने वाले ऐसे कारखानों के नाम क्या हैं जिन्हें 1-4-77 से 30-6-78 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा संस्थागत वित्तीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता दी गई थी और यह आर्थिक सहायता कितनी थी ;

(ख) ऐसे कारखानों की संख्या क्या है जो 1-4-77 से 30-6-78 तक रुग्ण हुए और उपरोक्त बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋणों की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) इंजीनियरी उद्योगों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के ताजा उपलब्ध आंकड़े नीचे लिखे अनुसार हैं :—

*मार्च 1977	करोड़ रुपयों में
* 1933	मई 1978*
	1993

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

इसके अलावा वित्तीय संस्थाओं ने आसान शर्तों पर ऋण (सोफ्ट लोन) की योजना के अन्तर्गत 30-6-78 की स्थिति के अनुसार इंजिनियरिंग उद्योगों के 20 आवेदन-पत्रों पर 23.22 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की थी।

(ख) और (ग). भारतीय रिजर्व बैंक केवल उन रुग्ण एककों के बारे में बैंकों से तिमाही विवरण मंगाता है जो 1 करोड़ रुपये और इससे अधिक की कुल ऋण सीमा का लाभ उठा रहे हैं। सितम्बर 1977 को समाप्त होने वाली तिमाही के विवरण में दी गई ताजा सूचना के अनुसार इंजीनियरी और बिजली के 72 रुग्ण उद्योग थे। बैंक और वित्तीय संस्थायें अपने ऋणों की वसूली के लिये जमानतियों पर दबाव डालकर और यदि आवश्यक हो तो कानूनी कार्रवाई करके समुचित कदम उठाते हैं। यदि रुग्ण एककों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम समझा जाता है तो बैंक ऐसे एककों को पुनर्वास के लिये वित्तपोषण कार्यक्रम बनाते हैं और अन्य बातों के साथ-साथ ऋणों और ब्याज की अदायगी के कार्यक्रम के पुनर्निर्धारण का भी ख्याल रखते हैं।

जीवन बीमा निगम द्वारा राज्यों में पेय जल सप्लाई के लिए दिए गए ऋण

1938. **श्री अनन्तराम जायसवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सप्लाई के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण के रूप में कितनी धनराशि दी गई और वित्तीय वर्ष 1978-79 में इस प्रकार के ऋणों के प्रस्ताव क्या हैं ;

(ख) क्या पेय जल की सप्लाई की व्यवस्था और इस समस्या की सीमा और